

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:- एस्टे/डीईएस/सां0नि0/अग्रिम अध्ययन/2019/4129
कार्यालय आदेश

दिनांक:- 13/07/2020

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित सांख्यिकी निरीक्षक को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नीचे अंकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापित विभाग/कार्यालय	परीक्षा जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है।
1.	सुरेन्द्र कुमार	आयोजना (परीवीक्षण) विभाग, सचिवालय, जयपुर	एम.ए (अर्थशास्त्र) प्रिवियस, यूजीसी नेट परीक्षा-2020
2.	हनी जारेड़ा	निदेशालय, समेकित बाल विकास विभाग, जयपुर	बैचलर ऑफ लाईब्रेरी साइन्स
3.	यशवन्त मीणा	कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, प्रतापगढ़	यूजीसी नेट परीक्षा-2020, स्कूल व्याख्याता (इतिहास), आर.ए.एस.
4.	सरोज मीना	जिला सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर	यूजीसी नेट परीक्षा-2020

नोट:- अग्रिम अध्ययन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. राजसेवक का शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी तथा नियमित अध्ययन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से स्थानान्तरित/ परिवर्तित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन के कारण राजसेवक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
7. अध्ययन संस्थान में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा, केवल परीक्षा काल के वास्तविक दिनों का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
9. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(मिससिम प्रजापत)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल.) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित विभाग.....
3. संबंधित कार्मिक श्री.....
4. निजी/रक्षित पत्रावली

(सुभाष चन्द्र शर्मा)

सहायक निदेशक (प्रशासन)